न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री मांगीलाल रेगर (आर0ए0एस0)उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 39/2018(राजस्व वाद)

दायर दिनांक – 8.6.2018
फैसल दिनांक– 10.7.2019

अनवान

1–श्री प्रताप पिता नाथु बलाई निवासी पडौली माकणिया नावणिया तह0सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्री अमीरा पिता धुलजी गायरी निवासी पडोली माकणिया नावणिया
2– श्री भेरजी पिता धुलजी गायरी निवासी पडौली माकनिणया नावणिया
3– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री राकेश बुनकर
वकील प्रतिवादी– श्री मयंक दोसी
वाद अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एवं 212 आरटीए

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या नया पराना 106/223के खातेदार प्रताप पिता नाथु बलाई निवासी पडोली माकनिणया नवणिया के खसरा नम्बर 3342 रकबा 0.17बिस्वा ,3731/3341रकबा 1.12बिघा,3803/3525रकबा 5.00बीघा व 3854/3625 रकबा 4.00बीघा कुल खेत नंग 4 रकबा 11.09बिघा पटवार हल्का करियाणा में स्थित है तथा वादी उक्त भूमि का माकि व स्वामी है । यह कि उक्त खाता नम्बर 106/223 में खसरा नम्बर 3803/3525रकबा 5.00बीघा व खसरा नम्बर 3854/3525 रकबा 4.00बीघा कुल रकबा 9.00बीघा जमीन पर काबिज हूं एवं उक्त खसरा नम्बरों के पास प्रतिवादीगण के खाता नम्बर 122/246 खसरा नम्बर 3844/3525 रकबा 0.8090हे0 स्थित है । प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा एवं बल पूर्वक वादी के खसरा नम्बर 3803/3525 रकबा 5.00बीघा ,खसरा नम्बर 3854/3525रकबा 4.00बीघा कुल रकबा 9.00बीघा के मध्य सीमा विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है । यह कि उक्त खसरा नम्बरों के सीमा विद को लेकर वादी ने दिनांक 20.3.2018 को सीमांकन करवाया था ,मौके पर पटवारी एवं गिरदावर द्वारा नक्षा लठ्ठा अपठनीय होने के कारण समझौते की बात कहकर चले गये । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य

10.7.19

Scanned by CamScanner

वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान का सीमा विवाद होकर प्रतिवादीगण जबरदस्ती एंव बलपूर्वक वादी की खातेदारी जमीन को हडपलेने की नियत से जेसीबी मशीन द्धारा समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसको वाद के निस्तारण तक रोका जाना आवश्यक है । यह कि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्धारा अतिकमण कर लिया है को नही हटाया गया तो वादी को आर्थिक मानसिक क्षति पहूॅचेगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी।

वादी द्धारा वाद के अन्त में मौजा माकणिया नवणिया के खाता संख्या 106/223 के वर्तमान खसरा नंबर 3803/3525 रकबा 5.00बीघा व खसरा नम्बर 3854/3525 रकबा 4.00 बीघा कुल रकबा 9.00 बीघा एवं प्रतिवादीगण के खाता नम्बर 122/246 खसरा नम्बर 3844/3525 क्षेत्रफल रकबा 0.8090 हे0 के मध्य सिमा विवाद की जानकारी तहसीलदार सागवाडा के द्ध;ारा की जावे एंव वादी को उसकी भूमि की जानकारी दी जाने व इस आशय की डिकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाने ,प्रतिवादीगण द्धारा वादी की भूमि पर किए गए अतिक्रंमण को हटाया जाने निवेदन किया गया है ।

वादी द्धारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज नकल सिमांकन आदेश ,नकल जमाबन्दी मोजा माकणिया नवणिया ,खसरा गिरदावरी संवत 2074, नक्शा ट्रैस एवं जमाबन्दी प्रतिवादी गण संवत 2074–77 की प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही रहना तथा फर्जी तरीके से अपने नाम एलोट करवाना ,वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खेत के बीच में अन्य भूमि है इसके बावजूद वादीजबरन प्रतिवादीगण की भूमि हडपना चाहना ,वादी द्धारा प्रतिवादीगण द्धारा अपनी भूमि पर करवाये जा रहे समतलीकरण के कार्य को रूकवाने का वादी को कोई अधिकार नही होना ,प्रतिवादीगण बाप दादा के समय से लगातार उक्त भूमि पर काबिज होना , वादी का वाद सिर्फ पत्थरगढी का होने से कब्जा लेने का कोई वाद नही लाने से कब्जे को हटवाने का अधिकारी नही होना बताते हुए वाद के माध्यम से किसी प्रकार की स्थाई ,अस्थाई निषेधाज्ञा या कब्जा लेने की राहन नही प्राप्त कर सकता है , बताया गया है ।

प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत होने पर विद्धान अभिभाषकगण वादी एंव प्रतिवादी की बहस समायत की गई ।

10.7.19

Scanned by CamScanner

वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को एंव प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण वादी एंव प्रतिवादी की बहस पर मनन किया ।

पत्रावली में उपलब्ध नक्षा ट्रैस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद है । वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि वादी के आराजीयात मौजा माकणिया नवणिया पटवार हल्का करियाणा के खाता नम्बर 106/223 के वर्तमान खसरा नम्बर 3803/3525 रकबा पांच बिघा एवं खसरा नम्बर 3854/3525 रकबा चार बीघा एवं प्रतिवादीगण के आराजीयात खाता नम्बर 122/246 खसरा नम्बर 3844/3525 रकबा 0.8090हे. के मध्य पक्षकारान के रूबरू भूमि की नपती कराई जाकर बाद नपती के मोके पर पत्थरगढी कराई जावे । मौके का नक्शा,नजरी नक्शा,पर्चा मौका सहित पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 10.7.19 को खूले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

10.7.19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner